8/8/2021

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्रा०शि०प०/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4455-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING, VILL-GAJOKHAR, PHOOLPUR, VARANASI			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के

Scanned with CamScanner

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible]

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या – प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/[illegible]   लखनऊ: दिनांक: [illegible]-2019

--:कार्यालय ज्ञाप:--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक [illegible] को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु [illegible] संस्थानों को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थानों का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-2 में [illegible] द्वारा [illegible] करने वाले पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा [illegible] विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और फलस्वरूप संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थानों को सत्र 2019-20 हेतु विहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नांकित [illegible] संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	[illegible]	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	सिविल इंजी इलेक्ट्रिकल इंजी मैकेनिकल इंजी [illegible] मैकेनिकल [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

- ✓ संस्था को एस०सी०वी०टी०/परिषद से प्रत्येक वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/निर्देशों/अधिनियमों/शासनादेशों/[illegible] एवं चिकित्सा, प्राविधिक शिक्षा, [illegible], [illegible] प्रदेश [illegible] परिषद, [illegible] एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों, निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ [illegible] हेतु [illegible] पाठ्यक्रम की मान्यता यदि [illegible] नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और [illegible] के हितों की सुरक्षा के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी [illegible] उत्तरदायी नहीं होगी। [illegible] किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति [illegible] [illegible] [illegible] क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ [illegible] इस पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश [illegible] द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु [illegible] [illegible] [illegible] से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को [illegible] उपलब्ध [illegible] [illegible] प्रवेश की [illegible] के माध्यम से [illegible] [illegible] [illegible] अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत [illegible] आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की [illegible] भूमि, भवन, [illegible], प्रयोगशाला, [illegible] [illegible] शुल्क, [illegible] शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] हेतु [illegible] [illegible] उपलब्ध कराने के साथ [illegible] [illegible] [illegible] में समस्त [illegible] व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में [illegible]/[illegible] पाठ्यक्रम को चलाने हेतु [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण [illegible] का [illegible] [illegible] अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था [illegible] का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/

([illegible])
सचिव

पृष्ठांक- [illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] तद् दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, [illegible] एवं [illegible] [illegible]।

([illegible])
सचिव